दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शुक्रवार 13 दिसम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 75

महत्वपूर्ण एवं खास

नागरिकता विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

» मुस्लिम लीग की पैरवी करेंगे कपिल सिब्बल

नई दिल्ली (आरएनएस)। नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 को संसद ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। वहीं गुरुवार को विधेयक के विरोध में याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दायर की है। उसका कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती है। उसने अदालत से विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल मुस्लिम लीग की ओर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे। वहीं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी विधेयक के खिलाफ याचिका दाखिल कर सकता है। मुस्लिम लीग के सांसद पीके कुनहालकुट्टी का कहना है कि हमने बुधवार को संसद के ऊपरी सदन से पास हुए नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह संविधान के मूल सिद्धातों के खिलाफ है। यह पूरी तरह से संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और किसी को भी धर्म के आधार पर इसे नष्ट नहीं करने दिया जाएगा।

सरकार ने टीवी चैनलों को हिंसा भड़काने वाली सामग्री दिखाने से मना किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी टीवी चैनलों को परामर्श जारी कर ऐसी सामग्री के प्रसारण में सावधानी बरतने के लिए कहा है, जिनसे हिंसा को प्रोत्साहन मिलने की आशंका हो। संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के पारित होने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, त्रिपुरा में हो रहे हिसक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर टीवी चैनलों के लिए यह परामर्श जारी किया गया है। टीवी चैनलों के लिए बुधवार को जारी किए गए परामर्श में मंत्रालय ने कहा है, सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी सामग्री के प्रति विशेष सावधानी बरतें, जिनसे हिंसा को प्रोत्साहन मिलता हो या उससे हिंसा भड़कती हो, या कानून-व्यवस्था बनाए रखने में समस्या उत्पन्न होने की आशंका हो या जो राष्ट्रविरोधी व्यवहार को बढ़ावा दे रही हो। यह परामर्श उन सभी सामग्री पर लागू होता है, जो देश की अखंडता को प्रभावित करती है और इसलिए यह सुनिश्चित करें कि ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित न हो जो इन संहिताओं का उल्लंघन करती है।

नाली में हुई मौसम की पहली बर्फबारी

शिमला (आरएनएस)। हिमाचल प्रदेश के सुरम्य पर्यटन स्थल मनाली में गुरुवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। शिमला के आसपास के इलाकों में भी हुई बर्फबारी के चलते क्षेत्र बर्फ की चादर से ढक गया है। बदले घटनक्रम से पर्यटकों के चेहरों पर मुस्कान छा गई है। अधिकारियों ने कहा कि मार्ग पर हुई बर्फबारी के चलते ऊपरी शिमला जिले के कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स से संपर्क टूट गया है। रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी के कारण 6 माह के लिए लाहुल स्पीति का प्रदेश से संपर्क कट गया है। लाहुल स्पीति के लिए यातायात सिर्फ टनल से ही संभव हो पाएगा।

हैदराबाद एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट का तीन सदस्यीय आयोग करेगा जांच

» सुप्रीम कोर्ट ने अन्य सभी जांचों पर लगाई रोक

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद एनकाउंटर केस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया है। हैदराबाद एनकाउंटर की जांच पर निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वी एस सिरपुरकर की अगुवाई में जांच होगी। छह महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद एनकाउंटर की सभी जांचों के साथ मीडिया पर इस मामले में किसी भी तरह की खबर प्रकाशित और प्रसारित करने पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर जज वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया है। इस आयोग में बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर जज रेखा बलदोटा और सीबीआई के पूर्व निदेशक कार्तिकेयन शामिल हैं। यह जांच आयोग 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फाइनल ऑर्डर आने तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रोक बरकरार रहेगी। इससे पहले हैदराबाद एनकाउंटर केस में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एसए बोवडे ने कहा कि लोगों को सच जानने का अधिकार है, हमारे विचार में मुठभेड़ की एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आप आपराधिक अदालत में उन पर (मुठभेड़ में शामिल पुलिस) के खिलाफ मुकदमा चलाने जा रहे हैं, तो हमारे लिए ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वे निर्दोष हैं तो लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए। जांच होने दीजिए, आप इसके खिलाफ क्यों हैं। अगर आप पुलिस वालों के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल चलाते हैं तो हम कोई आदेश नहीं जारी करेंगे। इस पर तेलंगाना पुलिस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के मामले की जांच की निगरानी करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पहले नियुक्त किया है और एक जज जांच नहीं कर सकते है। तेलंगाना सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अधिवक्ता कृषांक कमार सिंह ने कहा कि उन्होंने मुठभेड़ के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा प्रतिपादित निर्देशों का पालन किया है और सारे मामले को पहले ही राज्य सीआईडी के सुपुर्द कर दिया है।

दुष्कर्मियों के खिलाफ मालीवाल के अनशन का मुद्दा उठा

» राज्यसभा में उठे लोक महत्व के मुद्दे

नई दिल्ली (आरएनएस)। राज्यसभा में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान सांसदों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए, जिनमें दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के आमरण अनशन का मुद्दा भी शामिल है।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शून्काल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि दुष्कर्म मामलों के खिलाफपिछले 11 दिन से आमरण अनशन पर बैठी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से अब तक केंद्र सरकार के किसी प्रतिनिधि ने मुलाकात नहीं की है। मालीवाल ने निर्भया मामले के दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की भी मांग की है। सिंह ने कहा कि सरकार को इस मामले में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए क्योंकि अनशन के कारण उनके जीवन को भी संकट हो सकता है। उन्होंने मांग की कि दिल्ली पुलिस में 66 हजार कर्मियों की जल्दी नियुक्ति की जाए। उन्होंने दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई के लिए त्वरित अदालतों के गठन और निर्भया कोष के इस्तेमाल की भी मांग की।

जीएसटी मुआवजे का मुद्दा

राज्यसभा में शून्यकाल में ही कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने जीएसटी से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगस्त से ही राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे राज्यों को अपना खर्च चलाने में परेशानी आ रही है और कर्ज लेने की नौबत आ गयी है।

लोकसभा में दिवाला और शोधन (संशोधन) विधेयक पेश

नई दिल्ली (आरएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरूवार को लोकसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक पेश किया। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने के लिए लाये गये इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ही मंजूरी दी है। इससे पहले संहिता में तीन संशोधन हो चुके हैं। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने आज विधेयक पेश किये जाने का विरोध किया।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विधेयक की प्रति सदस्यों को आज सुबह ही सर्कुलेट की गयी है और इसका अध्ययन करने के लिए नियमानुसार दो दिन का समय नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भी सरकार इसमें संशोधन लेकर आई थी और अब दोबारा संशोधन विधेयक लाई है। चौधरी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को मंत्री को विधेयक पेश करने की अनुमति देने का अधिकार है लेकिन सरकार सदन को अपने हिसाब से चला रही है।उन्होंने विधेयक को स्थाई समिति को भेजने की मांग की। द्रमुक के टी आर बालू, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय और आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने भी विधेयक की प्रति दो दिन पहले सदस्यों को नहीं सर्कुलेट किये जाने के मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया। राय ने भी विधेयक को स्थाई समिति को भेजने की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्पीकर की सहमति और अनुमति से यह विधेयक लेकर आए हैं। जुलाई में सरकार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में एक संशोधन लाई थी क्योंकि कुछ भ्रम की स्थिति को लेकर उद्योग जगत को संरक्षण की जरूरत थी।

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी 18 पुनर्विचार याचिकाएं

नई दिल्ली (आरएनएस)। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी 18 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दीं हैं। इन याचिकाओं में नौ नवंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड़ भूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए दिये गये आदेशों पर पुनर्विचार करने के लिए दाखिल की गई थी।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इन पुनर्विचार याचिकाओं पर चौंबर में विचार किया। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल थे।

यह फैसला सुनाने वाली संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई चूंकि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए उनके स्थान पर संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को शामिल किया गया है। न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गयी कार्यसूची के अनुसार संविधान पीठ चौंबर में कुल 18 पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार किया। इनमें से नौ याचिकायें तो इस मामले के नौ पक्षकारों की हैं जबकि शेष पुनर्विचार याचिकायें तीसरे पक्ष ने दायर की। इस मामले में सबसे पहले दो दिसंबर को पहली पुनर्विचार याचिका मूल वादी एम सिद्दिक के कानूनी वारिस मौलाना सैयद अशहद रशिदी ने दायर की थी। इसके बाद छह दिसंबर को मौलाना मुफ्ती हसबुल्ला, मोहम्मद उमर, मौलाना महफूजुर रहमान, हाजी महबूब और मिसबाहुद्दीन ने दायर कीं। इन सभी पुनर्विचार याचिकाओं को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन प्राप्त है।

फांसी की आहट से उड़ी निर्भया के दोषियों की नींद, खाना-पीना छोड़ा

» घबराहट में रातभर लगाते रहते हैं चक्कर

नईदिल्ली (आरएनएस)। निर्भया के रेपिस्ट और हत्यारों की फांसी की सजा की तारीख नजदीक आने की संभावना जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे इन दोषियों को फांसी का खौफ डराने लगा है। यहां तक कि चारों दोषियों (अक्षय, मुकेश, विनय और पवन) ने घबराहट में खाना-पीना तक छोड़ दिया है।

ये चारों अपने-अपने सेल में देर रात तक चक्कर काटते रहते हैं। इनमें से किसी को भी कोई दवा नहीं दी गई है, लेकिन इन्हें तरल पदार्थ और ठोस भोजन इस तरह से दिया जा रहा है कि इनका रक्तचाप सही रहे। इन चारों पर जेलकर्मियों के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल व तमिलनाडु पुलिस के जवान 24 घंटे नजर रख रहे हैं। जेल सूत्रों के अनुसार, इसकी बड़ी वजह इस बात की आशंका है कि घबराहट की स्थिति में कोई कैदी खुद को नुकसान या आत्महत्या की कोशिश जैसे कदम न उठा ले।

इनके सेल के आसपास नियमित तौर पर लगे कैमरे के अलावा उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे की फुटेज की

निगरानी के लिए जेल कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहते हैं। तीन दोषी अक्षय, मुकेश और मंडोली जेल से यहां शिफ्ट किए गए पवन को तिहाड़ की जेल नंबर-2 के वॉर्ड नंबर-3 के तीन सेल में रखा गया है। जबकि चौथे कैदी विनय को जेल नंबर-4 में रखा हुआ है। उधर, चारों दोषियों को फांसी देने वाली दया याचिका पर अभी राष्ट्रपति की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। लेकिन इससे पहले तिहाड़ जेल में फांसी कोठी और अन्य चीजों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दोषियों को 16 या फिर 29 दिसंबर (निर्भया की मौत हुई थी इस दिन) को फांसी पर लटकाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी से प्रतिभावान छात्राएं मिली

नई दिल्ली (आरएनएस)। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लोकसभा उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा के नेतृत्व में 36 मेधावी छात्राओं ने नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की

इस अवसर पर मोदी को प्रतीक चिन्ह एवं श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट किया इस पर मोदी ने शीघ्र ही श्रीनाथ जी के दर्शन की मंशा जताई।

इस अवसर पर मोदी ने बालिकाओं को संदेश दिया कि ऐसे ही प्रतिभा का परिचय देते हुए आगे बढे ओर देश की सेवा करे। छात्राओं को संसद भवन म्यूजिम दिखाया गया, एब लोकसभा की कार्यवाही भी दिखाई गई । साथ ही इंडिया गेट एवं राष्ट्रीय वार मेमोरियल का भी भ्रमण कराया गया।

सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के बढ़ते मुद्दे पर गठित हुई तदर्थ समिति

नई दिल्ली (आरएनएस)। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के बढ़ते प्रसार और इससे बच्चों तथा समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की समस्या के समाधान सुझाने के लिये उच्च सदन के सदस्यों की एक तदर्थ समिति गठित की है।

राज्यसभा में नायडू ने बृहस्पतिवार को बताया कि हाल ही में इस विषय पर उच्च सदन के सदस्यों के औपचारिक समूह को ही तदर्थ समिति में तब्दील किया गया है। समूह के संयोजक राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के बच्चों सहित समूचे समाज पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिये बनाये गये औपचारिक समूह में रमेश के अलावा सपा की जया बच्चन, आप के संजय सिंह, बीजद के डा. अमर पटनायक, कांग्रेस के एम वी राजीव गौड़ा और अमी याज्ञिक, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन, जदयू की कहकशां परवीन, भाजपा के राजीव चंद्रशेखर, विनय पी सहस्त्रबुद्धे और रूपा गांगुली, द्रमुक के तिरुचि शिवा, राकांपा की वंदना चव्हाण तथा अन्नाद्रमुक की विजिला सत्यनाथ शामिल थे। सभापति ने सदन को बताया कि इस विषय पर समूह की कुछ बैठकें होने के बाद रमेश ने

उन्हें समूह के समक्ष कुछ मौलिक दिक्कतों के बारे में अवगत कराया है। इसके मद्देनजर उन्होंने इस समूह को तदर्थ समिति के रूप में काम करने को कहा है। रमेश इस समिति के अध्यक्ष होंगे। उन्होंने बताया कि समिति को इस विषय के सभी पहलुओं पर विचार कर समस्या के समाधान के बारे में अपनी रिपोर्ट एक महीने के भीतर पेश करने को कहा है।

लोकसभा व विधानसभाओं में एससी-एसटी आरक्षण 10 साल बढ़ाने का रास्ता साफ

» संसद के दोनों सदनों दी संविधान (126वां संशोधन) विधेयक को मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद ने गुरुवार को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों को दिये गये आरक्षण को दस वर्ष बढ़ाकर 2030 तक करने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी।

राज्यसभा ने गुरुवार को पेश किये गये संविधान (126वां संशोधन) विधेयक-2019 को सदन में मौजूद सभी 163 सदस्यों के मतों के सहारे सर्वसम्मिति से मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। एससी एवं एसटी वर्ग को लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में दिए गये आरक्षण की वर्तमान सीमा 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रही है। इस विधेयक में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के दो और 13 विधानसभाओं में एक-एक प्रतिनिधि को मनोनीत करने के बारे में कोई उल्लेख न होने पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि नरेन्द्र मोदी सरकार एससी एवं एसटी वर्ग को प्रदान किये जाने वाले आरक्षण को समाप्त करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार इन वर्गों में क्रीमी लेयर का प्रावधान लाने के पक्ष में भी बिल्कुल नहीं है। सरकार ने एटार्नी जनरल के माध्यम से कहा है कि क्रीमी लेयर के बारे में उच्चतम न्यायालय में जो मामले विचाराधीन हैं, उन्हें किसी बड़ी पीठ में भेजा जाए।इससे पूर्व सदन में कानून मंत्री की किसी टिप्पणी से अप्रसन्न होकर कांग्रेस के सदस्य सदन से बाहर चले गये थे। बाद में सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा अपील किए जाने के बाद कांग्रेस सदस्य वापस सदन में आ गये। नायडू ने ध्यान दिलाया कि चूंकि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें सदन के पचास प्रतिशत सदस्यों का मौजूद होना और मौजूद सदस्यों में से दो तिहाई सदस्यों के समर्थन से इसको पारित किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर यह महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पारित नहीं हो पाया तो देश में इसका गलत संकेत जाएगा। इसके बाद सभी सदस्यों ने इस विधेयक का मंजूरी देकर लोकसभा और विधानसभाओं में एससी-एसटी समुदाय के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ाए जाने का रास्ता साफ कर दिया।